

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :- 995/2024

पंकज नेहरा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा मैनाना, झुंझुनू।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.02.2024

आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में ब्याख्याता (रसायन विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा मैनाना, झुंझुनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अधिशाषी अभियंता के पद पर (आर.), झुंझुनू में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 जो सहायक अभियंता का पद संभाल रहे थे और अधिशाषी अभियंता के पद पर (आर.), झुंझुनू के पद के खिलाफ काम कर रहे थे, को स्थानान्तरित कर दिया गया है। अपीलार्थी का लगातार भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 30.01.2023 (अनुलग्नक-4) से कार्यरत है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण लगभग एक वर्ष की अल्पावधिक के भीतर ही कर दिया गया है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी

प्रत्यर्थी संख्या 2 को संमजित (accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि विरुद्ध है।

- 3 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक-1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में अधिशाषी अभियंता के पद पर (परियोजना), झुंझुनू में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।
- 4 हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
- 5 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अधिशाषी अभियंता के पद पर (परियोजना), झुंझुनू में 30.01.2023 (अनुलग्नक-4) से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के बाद आलोच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। विभाग द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

6 जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 2 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :-

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

इस अपील में निजी प्रत्यर्थी को समंजित किए जाने का कोई तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं

7 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य